फार्म नं. – 111

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

न्यायालय जिला कलक्टर मुकाम अनूपगढ़

देवीलाल आदि **बनाम** तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम नम्बर.........16.......वर्ष 2024

जी.सी.एम.एस. नं. : 2024/ ....101..............

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
20.05.2024	अपीलार्थी देवीलाल आदि की ओर से श्री साहबराम अधिवक्ता ने अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। अपीलार्थी अधिवक्ता की एडमिशन बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण के द्वारा तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ के नोटिस क्रमांक/राजस्व/धारा–22/2024/329 दिनांक 30.04.2024 जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत पटवारी हल्का रिपोर्ट आधार पर गै.मु. रास्ता की भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी हैं, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं। धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार द्वारा पारित मूल आदेश की अपील कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती हैं। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा आदेश पारित न कर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर राजकीय भूमि पर अपीलार्थीगण को अतिक्रमी मानते हुए नोटिस जारी कर अपीलार्थीगण से जवाब नोटिस की अपेक्षा की गयी हैं। जबकि अपीलार्थीगण को चाहिए था कि वे तहसीलदार के न्यायालय में नोटिस जवाब प्रस्तुत कर अपना पक्ष प्रस्तुत करते। ऐसी स्थिति में तहसीलदार के द्वारा जारी नोटिस के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं होने से अपील अपीलार्थी ग्रहण किये जाने योग्य नहीं हैं। अतः अपील एडमिशन स्तर पर खारिज की जाती हैं। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (अवधेश मीना) I.A.S. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ जिला कलक्टर अनूपगढ़	

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.08.13 12:49:11 IST
Reason: SelfAttested